

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री पवनकुमार शर्मा. प्रधानाचार्य राउमावि, दोसरा (जयपुर)	03.10.69	27.11.96 व्याख्याता	26.11.16 20 वर्ष	27.11.16 द्वितीय	15600-39100 6800/-
02	श्री अमरजीत सिंह सेनि. प्रधानाचार्य, राउमावि, लालगढ़-बस्सी (जयपुर)	16.07.58	02.07.86 व0अ0	01.07.16 30 वर्ष	02.07.16 तृतीय	15600-39100 6800/-
03	श्री उमाराम प्रधानाचार्य, राउमावि, कोकुण्डा (जोधपुर)	05.04.60	26.02.85 व्याख्याता	25.02.15 30 वर्ष	26.02.15 तृतीय	15600-39100 6800/-
04	श्री देवीसिंह से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, खवासपुरा (जोधपुर)	01.08.56	21.07.86 व0अ0	20.07.16 30 वर्ष	21.07.16 तृतीय	15600-39100 6800/-
05	श्री गंगासिंह जाखड़, से0नि0 प्रधानाचार्य, राआउमावि, नेवरी (बाड़मेर)	05.01.57	21.08.85 व0 अ0	20.08.05 20 वर्ष 20.08.15 30 वर्ष	01.09.06 द्वितीय 21.08.15 तृतीय	9300-34800 4800/- 15600-39100 6800/-
06	श्री प्रेमसिंह चारण, प्रधानाचार्य, राआउमावि, रूपवास (पाली)	15.07.65	21.05.96 व्याख्याता	20.05.16 20 वर्ष	21.05.16 द्वितीय	15600-39100 6800/-
07	श्री रिकबचन्द प्रधानाचार्य, राआउमावि, चांचोड़ी (पाली)	01.08.61	14.08.85 व0अ0	13.08.15 30 वर्ष	14.08.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-
08	श्री दिनेश सेनि. अति. जि.शि.अ. माध्यमिक शिक्षा, सिरौही	06.10.57	19.08.95 एसडीआई	18.08.15 20 वर्ष	19.08.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा । एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

  
(नथमल डिडेल)

आईएएस  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

(2)


क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018/38 दिनांक: 27-11-18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय)

2- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।

✓ 3- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।

✓ 4-रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) वेतन बेण्ड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थान स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राजमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शिखा मेदीरत्ता, नातोर, अलवर	27.02.79	अंग्रेजी	24.09.07	सीधी भर्ती	10 वर्ष	5400	24.09.17
2.	रजनी सैनी, बा. बकानी, झालावाड़	16.07.72	अंग्रेजी	16.12.97	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	16.12.17

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं 2017 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुरिस्तका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

  
(नथमल डिडेल)

I.A.S.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 29-11-2018

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी-संस्कृत/2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
3. संबंधित प्रध्यानाचार्य/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर